

मेसर्स फेस्टस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. - सेज, पवई, मुंबई, के क्षेत्र विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 83वीं बैठक का कार्यवृत्त, विकास आयुक्त, सीपज़-सेज की अध्यक्षता में 20.07.2026 को सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, विकास आयुक्त का कार्यालय, सीपज़-सेज, अंधेरी (पूर्व), मुंबई में आयोजित किया गया।

Minutes of 83rd Meeting of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of M/s. Festus Properties Pvt. Ltd. - SEZ, Powai, Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 20.07.2026, at Conference Hall, 2nd Floor, The Office of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai

1. Name of the SEZ : M /s. Festus Properties Pvt. Ltd.
2. Sector : IT/ITES
3. Meeting No. : 83rd
4. Date : 20.07.2026

उपस्थित सदस्य / Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री. मयूर आर. मानकर Shri. Mayur R. Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज SEEPZ-SEZ
2	श्री. सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री. संदीप डी. भोसले Shri. Sandip D. Bhosale	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज SEEPZ –SEZ फेस्टस-सेज Festus-SEZ
4	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
5	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
6	श्री रवींद्र केनी Shri Ravindra Keny	सहायक सीमा शुल्क आयुक्त Assistant Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
7	श्री जय मनोज शाह Shri. Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज SEEPZ –SEZ

बैठक में सहायता और सुचारु कामकाज के लिए श्री अमन कुमार शर्मा, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री राहुल शिवणगोल, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री हनिश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) श्री जय दीप, एडीसी (न्यू एसईजेड), और श्री पलाश शंकर, एडीसी (सीपज़-सेज़) भी बैठक में सहायता और उसके सुचारु संचालन के लिए उपस्थित रहे।

कार्यसूची मद संख्या 01: -

दिनांक 24.03.2026 को आयोजित 82वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 24.03.2026 को आयोजित 82वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद संख्या 02: -

मेसर्स फेस्टस प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) के कामकाज की निगरानी।

एफ.2/67/2006-ईपीजेड दिनांक 19.06.2006 (विधिवत अनुमोदन)

निर्णय: - विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 12(6) एवं 22(4) के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स फेस्टस प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) के कार्य-प्रदर्शन पर विचार किया।

कार्यसूची मद संख्या 03: -

मेसर्स एप्टिया ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कैफेटेरिया को नियमित करने के लिए आवेदन।

सीपज़/न्यूएसईजेड/फेस्टस-एसईजेड/एजीआईपीएल/

[2023-24/14434](#) दिनांक 01.11.2023 (मूल अनुमोदन पत्र)

Shri Aman Kumar Sharma, ADC (NEW SEZ), Shri Rahul Shivannagol, ADC (NEW SEZ), Shri Hanish Rathi, ADC (NEW SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (NEW SEZ), and Shri Palash Shankar, ADC (SEEPZ-SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

Agenda Item No. 01: -

Confirmation of Minutes of the 82nd Meeting held on 24.03.2026.

The Minutes of the 82nd Meeting held on 24.03.2026 were confirmed with consensus.

Agenda Item No. 02: -

Monitoring of performance of M/s. Festus Properties Pvt. Ltd. (Developer).

F.2/67/2006-EPZ Dated 19.06.2006 (Formal approval)

Decision: - After deliberation, the Committee noted the performance of the M/s. Festus Properties Pvt. Ltd. (Developer) in terms of Rule 12 (6) and 22 (4) of SEZ Rules, 2006.

Agenda Item No. 03: -

Application for regularization of cafeteria of M /s.

Aptia Group India Private Limited

SEEPZ/NEWSEZ/FESTUS-SEZ/AGIPL/2023-24/14434 dated 01.11.2023 (Original LOA)

Name of the Vendor	Address	Activities	Area
Sai Siddhi Hospitality PVT. LTD	Unit No. 1 & 2, Usmania Compound, Shree Nagar, Opp. Micro Lab, Chandivali, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400 072.	Food Supply and Service	4,731 sq. ft.

निर्णय :- विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(5) तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के मद संख्या 3(क) के प्रावधानों के अंतर्गत, मेसर्स एप्टिया ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने परिसर में कैफेटेरिया स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह अनुमोदन औरम-एसईजेड के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मानचित्र विन्यास (लेआउट) की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा।

समिति ने निर्देश दिया कि परिसर में लाइव-कुकिंग नहीं होनी चाहिए।

कार्यसूची मद संख्या 04: -

मेसर्स GE ऑयल एंड गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए आवेदन।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट इकाई द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इकाई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए संचयी आधार पर रु. 850.31 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक की अवधि के लिए रु. 588.19 करोड़ का सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित किया है।

Decision: - After deliberation, the Committee approved the proposal of M /s. Aptia Group India Private Limited for setting up of a cafeteria in their premises in terms of Rule 11 (5) of the SEZ Rules, 2006 and MoC&I Instruction No. 95 dated 11.06.2019, item no. 3 (a) subject to submission of NOC along with Inspection Report and verified copy of the map layout issued by the Specified Officer, Festus-SEZ. The Committee has directed that no live cooking shall be conducted on the premises.

Agenda Item No. 04: -

Application for Monitoring of Performance of M/s. GE Oil & Gas India Private Limited

The Annual Performance Reports for the year 2022-23 to 2024-25 were submitted by the unit. The unit has achieved positive NFE of Rs. 850.31/- Crores on cumulative basis for the FYs 2018-19 to 2022-23 and Rs. 588.19/- Crores for the FY 2023-24 to 2024-25.

निर्णय :- विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अंतर्गत माइंडस्पेस-एसईजेड स्थित मेसर्स GE ऑयल एंड गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्य-प्रदर्शन पर ध्यान दिया। इकाई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए संचयी आधार पर रु. 850.31 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक की अवधि के लिए रु. 588.19 करोड़ का सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित किया है।

Decision: - After deliberation, the Committee noted the performance of the M/ s. GE Oil & Gas India Private Limited located at Mindspace-SEZ in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. The unit has achieved positive NFE of Rs. 850.31/- Crores on cumulative basis for the FYs 2018-19 to 2022-23 and Rs. 588.19/- Crores for the FY 2023-24 to 2024-25.

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ